

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : 2994

गुरुवार, 18 दिसंबर, 2025/27 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

क्षेत्रीय संपर्क योजना का विस्तार

2994. श्री अनिल यशवंत देसाई:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ान योजना अथवा किसी अन्य योजना के अंतर्गत ओडिशा में भुवनेश्वर से आगे क्षेत्रीय हवाई संपर्क का विस्तार करने के लिए पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ओडिशा के जनजातीय और तटीय क्षेत्रों में विमानन अवसंरचना विकास की वर्तमान स्थिति क्या है।

(ग) क्या सरकार ने चक्रवात और बाढ़ संभावित क्षेत्रों में ड्रोन और छोटे विमान संभारतंत्र को बढ़ावा देने के लिए कोई व्यवहार्यता अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का रक्षा, वाणिज्य, कृषि आदि जैसे जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में ड्रोन की सुचारू संचालन क्षमता को देखते हुए नागरिक और रक्षा क्षेत्रों में ड्रोन के विकास और विनिर्माण को प्रोत्साहित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में ड्रोन के रक्षा और नागरिक क्षेत्र में उपयोग के लिए ड्रोन विकास में योगदान देने वाली रक्षा इकाइयों और नागरिक निर्माताओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस नए टूल/प्रौद्योगिकी के उपयोग पर सरकार की कोई निगरानी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोले)

(क) और (ख): उड़ान योजना के तहत, क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) उड़ानों के विकास और परिचालन के लिए ओडिशा राज्य में सात हवाईअड्डों/हवाईपट्टियों की पहचान की गई है। इनमें से झारसुगुडा, राउरकेला, उत्केला और जेयपुर को पहले ही विकसित और प्रचालनरत किया जा चुका है।

क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) - उड़ान एक सतत योजना है जिसमें योजना के अंतर्गत अधिक गंतव्यों और मार्गों को शामिल करने के लिए समय-समय पर बोली प्रक्रिया के चरण आयोजित किए जाते हैं। वैध बोली के माध्यम से इसकी पहचान करके और चयनित एयरलाइन प्रचालक (एसएओ) को अवार्ड करने के बाद असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों का पुनरुद्धार/उन्नयन किया जाता है।

(ग) से (च): नागर विमानन मंत्रालय ने भारत में विभिन्न ड्रोन गतिविधियों के लिए उदारीकृत और सरलीकृत ड्रोन नियम, 2021 जारी किए हैं।

इसके अलावा, भारत में स्वदेशी ड्रोन विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, नागर विमानन मंत्रालय ने 26 जनवरी, 2022 को मानवरहित विमान प्रणाली (यूएएस) के लिए प्रमाणन योजना और 30 सितंबर 2021 को उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को अधिसूचित किया।

दिनांक 15 दिसंबर 2025 तक, कृषि, मानचित्रण, निरीक्षण, निगरानी और लॉजिस्टिक उद्देश्यों जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा कुल 95 भारतीय विनिर्माताओं को 142 टाइप प्रमाण पत्र दिए गए हैं।

सरकार ने मानवरहित विमान प्रणालियों (ड्रोन) का सुरक्षित और दक्ष उपयोग करने के लिए एक व्यापक विनियामक फ्रेमवर्क तैयार किया है।

नागर विमानन मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों में निम्न शामिल हैं:

- नैनो और अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) ड्रोन को छोड़कर, यूएएस प्रमाणन योजना (26 जनवरी 2022) के तहत ड्रोन के टाइप सर्टिफिकेशन को अनिवार्य करने के लिए ड्रोन नियम, 2021 (25 अगस्त 2021) को अधिसूचित किया गया।

-रिमोट पायलट लाइसेंस खंड को हटाकर व्यापार करने में और आसानी के लिए 2022, 2023 और 2024 में बाद के ड्रोन (संशोधन) नियम अधिसूचित किए गए और रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन को स्वयं रिमोट पायलट प्रमाणपत्र प्रदान करने और जारी करने की सुविधा प्रदान की गई।

- कम स्तर के हवाई क्षेत्र को रेड, येलो और ग्रीन जोन में वर्गीकृत करते हुए डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर एक इंटरैक्टिव एयरस्पेस मैप का प्रावधान।
